पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, नेहरू नगर–कोलार बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) 462003
Website: http://www.klsgaci.edu.in e–mail: principal@klsgaci.nic.in **Phone:** 0755 – 2970310

क्रमांक / 2020 / योजना / भोपाल, दिनांकः / / 2020

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल (म0प्र0) द्वारा, विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सी0सी0डी प्लान) में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत मेडिसिनल प्लांटस के ज्ञान का डाक्यूमेन्टेशन प्रोजेक्ट (A Survey cum Interventional study along with standardization on Ayurveda Medicinal plants found in notified areas of Madhya Pradesh with reference to 04 Districts Viz, Mandala, Dindori, Anuppur and Shahdol) के क्रियान्वयन हेतु सर्वे अवधि (3 माह) के लिए निम्नांकित शर्तों के अनुरूप 03 जिलो हेतु (डिण्डौरी, शहडोल एवं अनूपपुर) इन जिलों के स्थानीय निवासियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्रं.	कार्य का प्रकार	न्यूनतम योग्यता	मानदेय	कर्मियो की संख्या	अवधि
1	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	किसी भी विषय में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	रूपये 15000 / – प्रतिमाह तथा रूपये 5000 / – प्रतिमाह आवागमन भत्ता	प्रत्येक जिले (डिण्डौरी, अनुपपुर एवं शहडोल) में 6 (कुल 18)	अधिकतम 03 माह

नोटः–

आवेदन संबंधित प्रक्रिया की जानकारी नियम एवं शर्तें, आवेदन प्रपत्र सहित संस्थान की वेबसाइट www.klsgaci.edu.in पर उपलब्ध है। संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन–पत्र को डाउनलोड कर सम्यक रूप से भरकर आवश्यक स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ अधोलिखित पते पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। न्यूनतम योग्यता हेतु अंतिम तिथि, आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक ही मान्य होगी। अंतिम तिथि दिनांक 20 फरवरी 2020, कार्यालयीन समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्रो की छानबीन पश्चात् योग्य उम्मीदवारों की सूची डालकर संस्थान की वेबसाइट (www.klsgaci.edu.in) पर साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान आदि सूचित किया जावेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वो समय–समय पर संस्थान की वेबसाइट को विजिट करते रहें।

आवेदन की अंतिम तिथि :– 20 फरवरी 2020

चयन का तरीका :– वाक–इन–इन्टरव्यू

आवेदन पत्र भेजने हेतु पता :– **प्रधानाचार्य, पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, नेहरू नगर–कोलार बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) 462003, दूरभाष क्रं :– 0755–2970310**

विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सी0सी0डी प्लान) में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत मेडिसिनल प्लांटस के ज्ञान का डाक्यूमेन्टेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत

//फील्ड इन्वेस्टीगेटर हेतु आवेदन प्रपत्र//

विज्ञापन संख्या .... आवेदित जिले का नाम ....

अभ्यर्थी का नवीन पासपोर्ट साइज स्व–प्रमाणित फोटो

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. जन्म तिथि :– .... वर्ग :– UR/ SC/ ST/ OBC
5. लिंग :– .... मान्य पहचान पत्र क्र.:– ....
6. मोबाइल नंबर :– .... ई–मेल आईडी :– ....
7. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार का पता) :– ....

....

....

8. स्थाई पता :– ....

....

....

9. शैक्षणिक योग्यता :–

क्रं.	योग्यता	वर्ष	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्रतिशत
1	हाईस्कूल				
2	इंटरमीडिएट (10+2)				
3	स्नातक उपाधि				
4	अन्य				

संलग्न प्रपत्रों को चिन्हित करें।

1. हाईस्कूल अंकसूची/जन्म तिथि प्रमाण पत्र
2. इन्टरमीडिएट/(10+2) अंकसूची
3. स्नातक अंकसूची/डिग्री
4. पहचान पत्र
5. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. अन्य

मै .... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है एवं मैने किसी प्रकार से किसी तथ्य को छिपाया या परिवर्तित नहीं किया है। किसी भी समय मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन/अनुबंध निरस्त किया जावे।

दिनांकः–

हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सी0सी0डी प्लान) में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अंतर्गत मेडिसिनल प्लांटस के ज्ञान का डाक्यूमेन्टेशन प्रोजेक्ट के तहत अंशकालिक आधार पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर की सेवाओं के अनुबंध हेतु।

//नियम एवं शर्तें//

1. शैक्षणिक योग्यताः– विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।
2. प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित को प्रति माह रूपये 15000/– तथा 5000/– प्रतिमाह आवागमन भत्ता निश्चित राशि देय होगी। मुख्यालय आने जाने एवं रूकने हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
3. प्रोजेक्ट अंतर्गत सर्वे प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात अथवा अधिकतम 03 माह जो भी पहले हो पर कार्यकाल स्वमेव समाप्त हो जावेगा जिसकी सूचना पृथक से नहीं दी जावेगी। चयनित अभ्यर्थी नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करेगें एवं किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व मुख्यालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को 03 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पश्चात् निरन्तर कार्य अवधि तक संबंधित जिलों में उनके जिला प्रभारियों के निर्देशानुसार सर्वे का कार्य करना होगा।
5. अनुबंधित व्यक्ति को संस्थान के पूर्व अनुमति के बिना सपादित किये गये कार्यों की जानकारी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित, प्रकाशित एवं उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य प्रारंभ करते समय इस आशय का वचन पत्र 50 रू. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
6. संबंधित के त्याग पत्र देने की स्थिति में तथा परियोजना के समाप्त होने के पश्चात सभी दस्तावेजों एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध सामग्री को संस्थान में जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। अतः भविष्य में नियमितिकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
8. संबंधित व्यक्ति किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे ओर वह लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
9. अनुबंधित उम्मीदवार को आमंत्रण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
10. परियोजना प्रभारी के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
11. अनुबंधित व्यक्ति किसी भी स्थिति में किसी गैरकानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
12. फील्ड इन्वेस्टीगेटर का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
13. आयु सीमा एवं आरक्षण म.प्र. शासन के नियमानुसार लागू होगें। तथापि सम्बन्धित संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त एस.टी. संवर्ग को एस.सी. से तथा एस.सी. को एस.टी. से पश्चात् ओ.बी. सी. से तत्पश्चात् अनारक्षित संवर्ग से भरा जायेगा।